

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग
विज्ञापित

६

जयपुर, जून २० सन १९५५

संख्या एक ३४ (१८) ३ वे. आइ आइ / ५५

अंतर्गत अधिनियम की जानकारी के लिये चेवण की जाती है कि धारा २० राजस्थान Forest (Act No. XIII of 1953) के अनुसार निम्नलिखित भूमि को इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दिवस से रक्ष्य जंगल (Reserved Forest) माना गया है।

ब्लॉक मुन्डेड
रेज बरेंधन
डिवीजन फोरेस्ट
आफिस बूंदी

उत्तर :- ब्लॉक मीमलत, ग्राम मेगारावत की भोंपड़ियाँ, मूणपुरा, गोपालपुरा, स्वस्तिया
शीशरी खालसा व अलिडा जागीर।
पूर्व :- ग्राम चरनाला, मराठी वीरान व अनुपपुरा खालसा।
दक्षिण :- ग्राम गोळपुर व पराना खालसा।
पश्चिम :- ब्लॉक नांका रेज मांडलगढ़ ब्लाका सिवाड़।

इस वन का कुल क्षेत्रफल ६२३६ एकड़ १५५८६ बीघा है।

इस वन में निम्नलिखित रियायतों उन आइनों के अन्तर्गत जो गवर्नमेन्ट समय समय पर प्रकाशित करे जाय रहेगी।

ग्राम मेगारावत की भोंपड़ियाँ, मोहनपुरा, गोपालपुरा, अलिडा, स्वस्तिया, शीशरी, चरनाला, मन्डावरी, अनुपपुरा, पराना व गोपालपुरा।

(क) अपनी निजी मवेशी, भ्रमाका भेड़, बकरी व अंत के चरती रहेगी।

(ख) अपने निजी खर्च के लिये जलाऊ सूखी लकड़ी (इंधन) व चारा शिरबोझ से फ्री लाने रहेंगे।

(ग) पशु मरने पर खाल पशु स्वामी ले जाता रहेगा।

उक्त ग्रामीण अपने निजी खर्च के लिये कृषि यंत्र एवं इमारती लकड़ी सम्बन्धित रोज से पास प्राप्त कर रूम के बरतने अनुसार, टैक्स जमा करा जते रहेंगे।

इस वन में देवजी व बालाजी का स्थान है, जहाँ यात्री दर्शनार्थ आते व जते रहेंगे, और ठहर कर परसादी भी करते रहेंगे, व नवरात्री में यहाँ पर जाग्रहण भी करते रहेंगे।

इस वन में निम्नलिखित रास्ते हैं जिन पर आमजनता व बोझ ढोने वाले पशु फ्री आते जाते रहेंगे।

- (१) ग्राम मेगारावत की भोंपड़ियाँ से ग्राम बिजोलिया जाने वाली सड़क (बूंदी से बिजोलिया जाती है)।
- (२) ग्राम मेगारावत की भोंपड़ियाँ से ग्राम गोळपुर जाती वाली।
- (३) ग्राम मोहनपुरा से ग्राम पराना जाने वाली।

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

पत्र :- राजस्थान राज-वन विभाग संख्या ५० भाग (१८) दिनांक ११ जून १९५५ के प्रकृत संख्या ३४/१८/३ वे. आइ आइ / ५५ के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है।

राज नारायण गुप्त
राजस्व सचिव

क्र.सं.	प्लॉट नं.	खसत नं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्षेत्रफल (अंश)	विवरण	शेखरी रिया में
10	10	11	11	10	दक्षिण	
11	11	12	12	10	"	
12	12	13	13	11	"	
13	13	14	14	11	"	
14	14	15	15	12	"	
15	15	16	16	12	"	
16	16	17	17	13	दक्षिण परिचय	
17	17	18	18	13	दक्षिण	
18	18	19	19	14	"	
19	19	20	20	14	"	
20	20	21	21	15	दक्षिण	
21	21	22	22	15	नाके नाके समोरे में का	
22	22	23	23	16	परिचय	शेखरी रिया में
23	23	24	24	16	दक्षिण परिचय	
24	24	25	25	17	"	
25	25	26	26	17	"	
26	26	27	27	18	"	
27	27	28	28	18	दक्षिण	
28	28	29	29	19	दक्षिण परिचय	
29	29	30	30	19	दक्षिण	
30	30	31	31	20	"	
31	31	32	32	20	"	
32	32	33	33	21	"	
33	33	34	34	21	"	
34	34	35	35	22	"	
35	35	36	36	22	"	
36	36	37	37	23	"	
37	37	38	38	23	दक्षिण परिचय	
38	38	39	39	24	"	
39	39	40	40	24	"	
40	40	41	41	25	दक्षिण परिचय	
41	41	42	42	25	"	
42	42	43	43	26	"	
43	43	44	44	26	दक्षिण परिचय	
44	44	45	45	27	"	
45	45	46	46	27	"	
46	46	47	47	28	"	
47	47	48	48	28	"	
48	48	49	49	29	"	
49	49	50	50	29	"	
50	50	51	51	30	"	
51	51	52	52	30	"	
52	52	53	53	31	"	
53	53	54	54	31	"	
54	54	55	55	32	"	
55	55	56	56	32	"	
56	56	57	57	33	"	
57	57	58	58	33	"	
58	58	59	59	34	"	
59	59	60	60	34	"	
60	60	61	61	35	"	
61	61	62	62	35	"	
62	62	63	63	36	"	
63	63	64	64	36	"	
64	64	65	65	37	"	
65	65	66	66	37	"	
66	66	67	67	38	"	
67	67	68	68	38	"	
68	68	69	69	39	"	
69	69	70	70	39	"	
70	70	71	71	40	"	
71	71	72	72	40	"	
72	72	73	73	41	"	
73	73	74	74	41	"	
74	74	75	75	42	"	
75	75	76	76	42	"	
76	76	77	77	43	"	
77	77	78	78	43	"	
78	78	79	79	44	"	
79	79	80	80	44	"	
80	80	81	81	45	"	
81	81	82	82	45	"	
82	82	83	83	46	"	
83	83	84	84	46	"	
84	84	85	85	47	"	
85	85	86	86	47	"	
86	86	87	87	48	"	
87	87	88	88	48	"	
88	88	89	89	49	"	
89	89	90	90	49	"	
90	90	91	91	50	"	
91	91	92	92	50	"	
92	92	93	93	51	"	
93	93	94	94	51	"	
94	94	95	95	52	"	
95	95	96	96	52	"	
96	96	97	97	53	"	
97	97	98	98	53	"	
98	98	99	99	54	"	
99	99	100	100	54	"	
100	100	101	101	55	"	
101	101	102	102	55	"	
102	102	103	103	56	"	
103	103	104	104	56	"	
104	104	105	105	57	"	
105	105	106	106	57	"	
106	106	107	107	58	"	
107	107	108	108	58	"	
108	108	109	109	59	"	
109	109	110	110	59	"	
110	110	111	111	60	"	
111	111	112	112	60	"	
112	112	113	113	61	"	
113	113	114	114	61	"	
114	114	115	115	62	"	
115	115	116	116	62	"	
116	116	117	117	63	"	
117	117	118	118	63	"	
118	118	119	119	64	"	
119	119	120	120	64	"	
120	120	121	121	65	"	
121	121	122	122	65	"	
122	122	123	123	66	"	
123	123	124	124	66	"	
124	124	125	125	67	"	
125	125	126	126	67	"	
126	126	127	127	68	"	
127	127	128	128	68	"	
128	128	129	129	69	"	
129	129	130	130	69	"	
130	130	131	131	70	"	
131	131	132	132	70	"	
132	132	133	133	71	"	
133	133	134	134	71	"	
134	134	135	135	72	"	
135	135	136	136	72	"	
136	136	137	137	73	"	
137	137	138	138	73	"	
138	138	139	139	74	"	
139	139	140	140	74	"	
140	140	141	141	75	"	
141	141	142	142	75	"	
142	142	143	143	76	"	
143	143	144	144	76	"	
144	144	145	145	77	"	
145	145	146	146	77	"	
146	146	147	147	78	"	
147	147	148	148	78	"	
148	148	149	149	79	"	
149	149	150	150	79	"	
150	150	151	151	80	"	
151	151	152	152	80	"	
152	152	153	153	81	"	
153	153	154	154	81	"	
154	154	155	155	82	"	
155	155	156	156	82	"	
156	156	157	157	83	"	
157	157	158	158	83	"	
158	158	159	159	84	"	
159	159	160	160	84	"	
160	160	161	161	85	"	
161	161	162	162	85	"	
162	162	163	163	86	"	
163	163	164	164	86	"	
164	164	165	165	87	"	
165	165	166	166	87	"	
166	166	167	167	88	"	
167	167	168	168	88	"	
168	168	169	169	89	"	
169	169	170	170	89	"	
170	170	171	171	90	"	
171	171	172	172	90	"	
172	172	173	173	91	"	
173	173	174	174	91	"	
174	174	175	175	92	"	
175	175	176	176	92	"	
176	176	177	177	93	"	
177	177	178	178	93	"	
178	178	179	179	94	"	
179	179	180	180	94	"	
180	180	181	181	95	"	
181	181	182	182	95	"	
182	182	183	183	96	"	
183	183	184	184	96	"	
184	184	185	185	97	"	
185	185	186	186	97	"	
186	186	187	187	98	"	
187	187	188	188	98	"	
188	188	189	189	99	"	
189	189	190	190	99	"	
190	190	191	191	100	"	
191	191	192	192	100	"	

(सुरेश मिश्रा)
उप वन निरीक्षक
बून्दी (राज०)

१	२	३	४	५	६
४९	४२	३४	००	बधिय नाणे २ खमोपेच के साथ सन्ध	
४२	४४	३१	४०	पश्चिम	सीपी रेखा में
४४	४२	३०	४६	"	"
४२	३६	३०	०६	"	"
४६	४०	३६	०४	"	"
४०	४८	३४	०३	उत्तर	"
४८	४६	३२	३३	"	"
४६	४०	०८	४२	"	नाणे २ खमोपेच के साथ २
४०	४१	३६	३०	पूर्व	सीपी रेखा में
४१	४२	३६	००	"	"
४१	४३	३०	४०	"	"
४३	४४	३१	०६	"	"
४४	४२	३०	४०	"	"
४२	४१	३०	३०	"	"
४१	४३	३३	६०	"	"
४३	४५	३	६०	उत्तर	"
४५	४६	३२	३०	पश्चिम	"
४६	६०	०	००	"	"
६०	६१	३४	२२	उत्तर	"
६१	६२	४०	०	"	"
६२	६३	३६	४४	"	"
६३	६४	४३	०४	"	"
६४	६२	३३	३०	"	"
६२	६६	४३	४०	"	नाणे २ खमोपेच के साथ २
६६	६०	२२		उत्तर पूर्व	सीपी रेखा में
६०	६८	३४	३४	पूर्व	"
६८	६६	६१	६०	पूर्व	"
६६	००	३०	०४	"	"
००	०१	३०	४०	उत्तर	"
०१	०२	३	२६	"	"
०२	०३	४६	२४	"	"
०३	०४	६६	००	"	नाणे २ खमोपेच के साथ २

नोट:- १. जरीय से अभिप्राय ६६ फीट की जरीय से है जिस में १०० फटियां हैं
 २. माप से अभिप्राय: चपतल के स्तर के माप से है

(सुरेश मिश्रा)
 उप वन संरक्षक
 बून्दी (राज०)

परिशिष्ट (घ)

वन-क्षेत्रों की विस्तार योजना, जिला कुंभी की सीमा रेखा का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	स्तम्भ संख्या		दूरी मीटर व कड़ियों में		विधा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
	से	तक	अ.म.	कड़ियाँ		
१	२	३	४	५	६	७
एप्रोक्सिमेट फोरबॉर्डिंग की विवरण कड़ियों में						
१	१	२	८	४०	पूर्व-दक्षिणीय	१२४-०० सीमा रेखा
२	२	३	१०	६०	दक्षिणीय	१६१-०० "
३	३	४	१०	६०	"	१६१-०० "
४	४	५	६	२०	पूर्वीय	६०-०० "
५	५	६	६	६०	"	६६-०० "
६	६	७	६	६०	"	६०-०० "
७	७	८	१०	००	"	६०-०० "
८	८	९	७	४५	"	६४-०० "
९	९	१०	६	००	"	६०-०० "
१०	१०	११	१७	४५	पूर्व-दक्षिण-दक्षिणीय	१६५-०० "
११	११	१२	२	६५	दक्षिण-पश्चिमीय	१०५-०० "
१२	१२	१३	"	६२	"	२०५-३० "
१३	१३	१४	४	४५	दक्षिणीय	१६६-०० "
१४	१४	१४/१	५	००	१० प० पश्चिमीय	२४६-०० "
१५	१४/१	१४/२	११	००	"	२४६-०० "
१६	१४/२	१४/३	१०	१०	"	२४६-०० "
१७	१४/३	१४/४	१२	३०	"	२४६-०० "
१८	१४/४	१४/५	५	६०	"	२४६-०० "
१९	१४/५	१५	५	६१	"	२४६-०० "
२०	१५	१५/१	६	६७	पश्चिम-उत्तरीय	३१६-०० "
२१	१५/१	१५/२	५	६०	"	३१६-०० "
२२	१५/२	१५/३	५	७०	"	३१६-०० "
२३	१५/३	१५/४	५	१०	"	३१६-०० "
२४	१५/४	१५/५	५	६५	"	३१६-०० "
२५	१५/५	१५/६	६	००	"	३१६-०० "
२६	१५/६	१६	७	६५	"	३१६-०० "
२७	१६	१७	३	३०	"	३१०-०० "
२८	१७	१७/१	२	१०	पश्चिमीय	३६१-०० "
२९	१७/१	१७	१४	१०	"	३६१-०० "
३०	१७	१८	५	००	१० प० उत्तरीय	२६१-०० "

(सुरेश मिश्रा)
उपवन संरक्षक
कुंभी (राज.)

१	२	३	४	५	६	७
१६	२०	२०	००	उ० उत्तर पूर्व		
२०	२०/१	१९	७२	उत्तर-पूर्वीय	१२-००	"
२०/१	१	५	२६	"	४०-००	"
				"	४०-००	"

(५)

- (१) जरीब १६ फीट की काम में ली गई है, जिसमें १०० कड़ियां होती हैं।
- (२) वही दिये गये माप भूमि सतह पर के माप हैं।
- (३) एप्रोप्रियेट फोरवर्डिंग बीयरिंग्स खाना नम्बर ७ में प्रस्तुत दिये गये हैं।

P.C.

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

सत्यापन की जायें

12

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्राम-पुस्त) विभाग
दिल्लि

संख्या:

तारीख:

बूँद विम्वनित्तित अमुक्तो में लिखा है कि वन-भूमि तथा वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा सर्वे सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन रूप अथवा अन्य किसी अंग का स्वत्वधारा (Entailed) है.

और बूँद सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा वन भूमि को राजस्थान पनीरैक्ट एक्ट 1942 की धारा 29, उपधारा (1) के अन्तर्गत सम्पत्ति वन (Private Land) घोषित करने का विचार रखती है.

और बूँद पूर्वोक्त भूमि में अथवा वन पर सरकारों अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वत्व अंगों तक किसी भी प्रकार के लेखक न हों स्थि गये हैं.

और बूँद सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा वन भूमि में अथवा वन पर सरकारों या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वत्व के सम्बन्ध में जति किया जाना तथा उन्हें लेखक किया जाना आवश्यक है. परन्तु बूँद को आशी है सम्पादन में निम्न तर्क लीजिए कि वन में सरकार के अधिकारों की शक्ति पहचाने की आशा है.

इसलिये अब राजस्थान पनीरैक्ट एक्ट, 1942 (1942 का एक्ट संख्या 129) की धारा 29 को उपधारा (2) के द्वारा पुस्तक शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरकार इसमें द्वारा पनीरैक्ट एक्टमेंट अधिनियम (अधिनियम पनीरैक्ट एक्टमेंट अधिनियम को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा वन भूमि में या इन सरकारों तथा वैयक्तिक अधिकारों को जति करी उन्हें लेखक करने हेतु विरुद्ध रखती है. तथा जो जति तथा अधिनियम, यथागत सौ, पत्तारों में किया जायेगा जसा कि एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1) 12, 13, 14, 15, 16 का एक 19 में परिचित है.

और एक्ट एक्ट की धारा 29 को उपधारा (2) के अन्तर्गत (Promise) द्वारा, पुस्तक शक्तियों में अग्रिम अनुसरण में राजस्थान सरकार इसके जति तथा अधिनियम सम्पादन होने तक वन भूमि और वन भूमि को एक विशिष्ट द्वारा सम्पत्ति वन (Private Land) घोषित करती है. परन्तु इसी किताब अधिनियम का अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों के किसी भी प्रकार को बना रहा आयेगा और व वन पर कोई प्रभाव पड़ेगा.

और सरकार यह एक्ट की धारा 20 द्वारा, पुस्तक शक्तियों के अग्रिम अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि एक्ट सम्पत्ति वन में है वृद्ध को करने साथ वन अधिनियम अमुक्तो में अहित स्थि गये हैं. वन-वन में एक विशिष्ट है, प्रकाशन को आशी है सम्पत्ति (Reserved) है और पूर्वोक्त तर्कों में वन वन में, पत्तारों का लीजिए जाना अथवा वन अमुक्तो का लीजिए जाना अथवा किसी प्रकार को वन अधिनियम सम्पत्ति किया जाना अथवा इसे किसी निर्माण, पट्टिया या पट्टिन बनाया जाना अथवा जाना और एक्ट वन में किसी भूमि का वृद्धि अथवा वन निर्माण अथवा सम्पादन अथवा किसी भी प्रकार के लिये लिखित किया जाना अथवा वन किया जा निषिद्ध करती है.

पथ अमुक्तो (वन-भूमि और वन भूमि)
किसी अमुक्तो (सम्पत्ति वन)

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)


राज्यपाल को आशी है
सम्पत्ति वन

:: पथन अंशुनी ::

जिला	तहसील	पंच	ग्राम	खसरा न.	पंचपत्त		सोना विवरण
					बोंडा	बिखा	
१	२	३	४	५	६	७	८
बूंदी	बूंदी	ठाकूरग	गुदा	१७०७	७५	१०	<p>श्री: - ग्राम शाहीपुरा गु के अन्दाद खेत</p> <p>गड्डिम: - गुदाजीम खेत व भोज काहा</p> <p>ठकर: - वनखण्ड गुदा जी का खेत एवं दिगान्डरा के अन्दा खेत।</p> <p>दोषीज: - गुदा जामि</p>
				१७१२	७३	०६	
				१७१३	१२०	००	
				१७१५	१०	००	
				१७५८	२०	०७	
				१७५९	१	००	
				१७६०	१८	११	
				१७६१	७६	०५	
				१७६५	५४	०२	
				१७६६	७	१२	
				१७६७	६४	०६	
				१७६८	८७	००	
				१७६९	१	१४	
				१७७०	१०१	१६	
				१७७१	२	०१	
१७७२	२४	००					
१७७४	७	०१					
१७७५	५०	१२					
१७७६	५	००					

योग १७ २२५ ०३

एकड़ २५४.०१
हेक्टेयर १४१.६०


 श्री श्याम
 अधिकारी
 (समन्वय)

१०
 (सुरेश मिश्रा)
 उप वन संरक्षक
 बूंदी (राज०)